

उत्तर रेलवे

प्रधान कार्यालय
बड़ौदा हाउस
नई दिल्ली

पत्र सं. 403-T/190/5/OPTG/Rule/21

दिनांक: 11/08/2022

मण्डल रेल प्रबन्धक,

उत्तर रेलवे,

दिल्ली, फिरोजपुर, मुरादाबाद, लखनऊ एवं अम्बाला !

विषय: सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक 1983 का संशोधन पत्र सं.196 दिनांक 08/08/2022 (English & Hindi version)

सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक 1983 का संशोधन पत्र सं. 196 दिनांक 08/08/2022 (अंग्रेजी व हिन्दी) की प्रतिलिपि आपके सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

Pr. COM
कृते महाप्रबन्धक/परिचालन
21/08/22

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख मुख्य अभियन्ता, 30रे0 बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली। (Pr. CE)
2. प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी, 30रे0 बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली। (Pr. CSO)
3. प्रमुख मुख्य विद्युत अभियन्ता, 30रे0 बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली। (Pr. CEE)
4. प्रमुख मुख्य सिगनल एवं दूर संचरा अभियन्ता, 30रे0 बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली। (Pr. CSTE)
5. प्रमुख मुख्य यांत्रिक अभियन्ता, 30रे0 बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली। (Pr. CME)
6. मुख्य चलस्टाक अभियन्ता, 30रे0 बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली। (CRSE)
7. वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबंधक, 30रे0, दिल्ली, फिरोजपुर, मुरादाबाद, लखनऊ एवं अम्बाला ।
8. वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबंधक/सा. 30रे0, दिल्ली, फिरोजपुर, मुरादाबाद, एवं लखनऊ ।
9. मण्डल परिचालन प्रबंधक/सा. 30रे0, अम्बाला।
10. वरिष्ठ मण्डल अभियन्ता, (आर एस ओ) 30रे0, दिल्ली, फिरोजपुर, मुरादाबाद, लखनऊ एवं अम्बाला।
11. वरिष्ठ मण्डल विद्युत अभियन्ता/समन्वय, 30रे0, दिल्ली, फिरोजपुर, मुरादाबाद, लखनऊ एवं अम्बाला।
12. वरिष्ठ मण्डल सिगनल एवं दूर संचार अभियन्ता, 30रे0, दिल्ली, फिरोजपुर, मुरादाबाद, लखनऊ एवं अम्बाला।
13. वरिष्ठ मण्डल संरक्षा अधिकारी, 30रे0, दिल्ली, फिरोजपुर, मुरादाबाद, लखनऊ एवं अम्बाला।
14. वरिष्ठ मण्डल यांत्रिक अभियन्ता, 30रे0, दिल्ली, फिरोजपुर, मुरादाबाद, लखनऊ एवं अम्बाला।
15. प्रधानाचार्य, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, 30रे0, उत्तर रेलवे चन्दौसी।
16. प्रभारी प्रशिक्षक, संरक्षा शिविर/मंडल परिचालन प्रशिक्षण केन्द्र, 30रे0, फिरोजपुर, लखनऊ, धर्मपुर, कुरुक्षेत्र एवं मुरादाबाद ।
17. मुख्य मुद्रण एवं लेखन सामग्री प्रबन्धक, 30रे0 शकूरबस्ती (दो प्रति) कृपया उपरोक्त संशोधन पत्र सं. 196 दिनांक 08/08/2022 को उत्तर रेलवे गजट में प्रकाशित करें।
18. प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे NWR जयपुर, उत्तर मध्य रेलवे NCR सूबेदार गंज प्रयागराज, पश्चिम मध्य रेलवे WCR जबलपुर, उत्तर पूर्व रेलवे NER गोरखपुर, पूर्व मध्य रेलवे ECR हाजीपुर व पूर्व रेलवे ER कोलकाता।
19. Pr.COM प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक, CFTM, मुख्य माल भाडा यातायात प्रबंधक CTPM मुख्य यातायात योजना प्रबंधक, COM/G मुख्य परिचालन प्रबंधक/सामान्य & CPTM मुख्य यात्री यातायात प्रबंधक ।


Amendment Slip No. 196 dated 08/08/22 to G&SR Rule Book 1983, of Northern Railway

1. The existing sub rules (1) & (2) under GR 1.01 is deleted and substituted as follows:
(Ref: The Gazette of India, New Delhi, July 27 2022, Notification No. 530)
GR 1.01: Short title and commencement: (1) These rules may be called the Indian Railway (Open Line) General (Second Amendment) Rules, 2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Delete the existing GR 4.08(1) (a) and substitute as under:
(a) Every train shall be run on each section of the railway within the limits of speed sanctioned for that section by special instruction.
3. Add a new SR 4.08/5 under GR 4.08 as follows:
(a) Principal Chief Engineer of Zonal Railways is empowered to sanction further raising of sectional speed upto 110 Kmph for already opened section by the Commissioner of Railway Safety.
(b) Further, sanction of Commissioner of Railway Safety shall be taken by the Zonal Railways for increase of the 'speed of section' beyond 110 kmph.


(Manoj Krishna Akhouri)
Principal Chief Operations Manager

सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक 1983, उत्तर रेलवे का संशोधन पत्र सं. 196 दिनांक 08/08/2022

1. वर्तमान सामान्य नियम 1.01 के उप नियम (1) एवं (2) को हटायें और निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें (संदर्भ: भारत का राजपत्र, नई दिल्ली का अधिसूचना संख्या 530, दिनांक 27.07.2022) :-
सामान्य नियम 1.01: संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 है।
(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. साधारण नियम 4.08 के उप नियम (1) के खंड (क) को हटाए और निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें:
(क) रेलवे के प्रत्येक सेक्शन में प्रत्येक रेलगाड़ी को उस गति सीमा के भीतर ही चलाया जाएगा, जो विशेष अनुरोधों द्वारा उस सेक्शन के लिए मंजूर की गई है।
3. सामान्य नियम 4.08 के अंतर्गत एक नया सहायक नियम 4.08/5 को निम्नानुसार जोड़ें:-
(अ) रेलवे मुख्यालय के प्रमुख मुख्य यांत्रिक अभियंता, रेलवे संरक्षा आयुक्त द्वारा खोले गए खंड पर 110 किमी/घंटा तक सेक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए अधिकृत होंगे।
(ब) सेक्शन की स्पीड 110 किमी/घंटा से अधिक बढ़ाने के लिए रेलवे मुख्यालय द्वारा मुख्य संरक्षा आयुक्त की स्वीकृति ली जाएगी।


(मनोज कृष्ण अखौरी)
प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक